न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **212/2019**
GCMS NO. : **2019/00229**

–ः वादीगणः–	बनाम	–ः प्रतिवादीगण ः–
1. कमलचंद पुत्र भबूतराम फौत के कायम मुकाम 1/1. भूरीदेवी बेवा कमलचंद 1/2. दिनेश कुमार पुत्र कमलचंद 1/3. सानिया कुमावत पुत्री कमलचंद 1/4. अनिता पुत्री कमलचंद 1/5. किशन पुत्र कमलचंद जाति– कुमावत, निवासीगण– बेरा गौरवा निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)।		1. सुखाराम पुत्र भबूतराम जाति– कुमावत निवासी बेरा गौरवा निमाज तहसील जैतारण जिला– पाली0। 2. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.25/10/2019**

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री इमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादी

–ः: निर्णय ::– **दिनॉकः– 24/12/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज. में खसरा नम्बर 751 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 270 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 30 बीघा, खसरा नम्बर 273 रकबा 30 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1044 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1068 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1113 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है। इसी प्रकार सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसी[illegible] जिला पाली राज. में खसरा नम्बर 1099 रकबा 04 बीघा [illegible] आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज [illegible] कार एवं खातेदार रेकर्ड में दर्ज। नकल जमाबन्दीया साथ पेश हैं। उक्त सम[illegible] वादी के पिता भबू[illegible] रावतजी के फौत होने पर फौतदगी नामान्तरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम कुनाराम पुत्र भबूत के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible] कमलचंद पुत्र भूबतराम है, जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, पहचान कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में भी वादी का नाम कमलचंद पुत्र भबूतराज दर्ज है, जो वादपत्र के साथ संलग्न है, जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है। जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथ इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 17.09.2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करनें पर पता चला जो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध में वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है, जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही व वास्तवित व दस्तावेजी नाम कमलचंद पुत्र भबूतराम से दर्ज करनें एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र रेकर्ड दुरुस्ती बाबत् श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है, न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है। जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होंनें मौके कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया, इसलिए सहखातेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। इसलिए सहखातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है, इनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करने का मकसद विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 17.09.2019 को पटवारी हल्का से संपर्क करने एवं उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रतिवादी संख्या एक ने इकबालिया जवाब में यह कथन किया है कि वह वाद पत्र वर्णित सभी तथ्यों का वह समर्थन करता है तथा माफिक इस्तदुआ वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या एक को कोई उजर ऐतराज व आपत्ति नहीं है। अतः माफिक इस्तदुआ वादी का वाद डिक्री व निर्णित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने वादी संख्या 1/1 भूरी देवी बेवा कमलचंद P.W. 01 एवं गवाह देवाराम P.W. 02, गवाह सोहनलाल P.W. 03, गवाह हापूराम P.W. 04 साक्ष्य शपथ पेश किये एवं प्रदर्श करवाएं गये जो सा0मि0 है। बहस उभयपक्ष वकुलाय की

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया।

पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी कमलचंद जिसका नाम भू-अभिलेख में कुनाराम दर्ज है, जिसके अनुसार बचपन में घरेलू बोलचाल का नाम है तथा फौतदगी नामांतरण के वक्त गलती से उसका बोलचाल का नाम दर्ज कर दिया गया हैं, जबकि उसका वास्तविक दस्तावेजी नाम कमलचंद हैं। प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2053-2056, ग्राम निमाज से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार भबूततराम वल्द रावतराम के फौत होनें पर नामांतरण संख्या 2257 से भबूततराम के स्थान पर भंवरलाल, सुखाराम, कुनाराम पि. भभूत राम व मुगनी देवी बेवा भभूतराम दर्ज किया गयां जो कि बदस्तूर जारी है।

प्रतिवादी सुखाराम जो कि वादी का भाई है न इकबालिया जवाब दावा मय शपथ-पथ प्रस्तुत करते हुए वाद-वादी का समर्थन किया है। साक्ष्य वादी में गवाह भूरी देवी पत्नी स्व. कमलचंद बयान शपथ P.W. 01 एवं गवाह देवाराम पुत्र भोलाराम बयान शपथ-पत्र P.W. 02, गवाह सोहनलाल पुत्र लाबूराम बयान शपथ-पत्र P.W. 03, गवाह हापूराम पुत्र हिमताराम बयान शपथ-पत्र P.W. 04, द्वारा शपथ-पत्र पर जिरह में वादी के कथनों का समर्थन करते हुए पुष्टि की है कि वस्तुतः कुनाराम और कमलचंद एक ही व्यक्ति है तथा इसका वास्ताविक एवं सही दस्तावेजी नाम कमलचंद हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 9A , बैंक पास बुक प्रदर्श-11A, एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, निमाज पासबुक प्रदर्श-12A, एवं आधार कार्ड प्रदर्श-10A, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का वास्तविक नाम कमलचंद है तथा कमलचंद व कुनाराम एक ही व्यक्ति है। चुंकि पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि दौराने विचारण वादी फौत हो चुका है तथा वादी के वारिसान अभिलेख पर आ चुके हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधारा पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वस्तुत5 कमलचंद एवं कुनाराम एक ही व्यक्ति है तथा वादी/खातेदार का वास्तविक एवं सही नाम कमलचंद है। अतः वादी अपनें सही एवं वास्तविक नाम के साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। चुंकि वादी कमलचंद फौत हो चुका है, अतः इनके विधिक वारिसान वादी के स्थान पर वादी के वास्तविक एवं सही नाम के साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन करवा सकते है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा निमाज प्रथम, तहसील- जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 751 रकबा 20-07 बीघा, खसरा संख्या 269 रकबा 01-10 बीघा, खसरा संख्या 270 रकबा 0-14 बीघा, खसरा संख्या 271 रकबा 0-01 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 30 बीघा, खसरा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

73 रकबा 30-04 बीघा, खसरा संख्या 1044 रकबा 09-07 बीघा, खसरा संख्या 1068 रकबा 06-09 बीघा, खसरा संख्या 1110 रकबा 02-15 बीघा, खसरा संख्या 1113 रकबा 01-17 बीघा में बतौर खातेदार एवं खसरा संख्या 1999 रकबा 04-12 बीघा में बतौर काश्तकार दर्ज वादीगण के पिता के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि कुनाराम पि. भबूतराम को सही एवं वास्तविक नाम कमलचंद पुत्र भबूतराम से प्रतिस्थापित करते हुए मृतक कमलचंद पुत्र भबूतराम के स्थान पर इसके विधिक वारिसान वादीगण क्रमशः भूरीदेवी पत्नी कमलचंद, दिनेश कुमार पुत्र कमलचंद, सानिया कुमावत पुत्री कमलचंद, अनिता पुत्री कमलचंद, किशन पुत्र कमलचंद के नाम नामान्तरण स्वीकृत की जाने हेतू तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/12/2020 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगणः– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. कमलचंद पुत्र भबूतराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. भूरीदेवी बेवा कमलचंद
   1/2. दिनेश कुमार पुत्र कमलचंद
   1/3. सानिया कुमावत पुत्री कमलचंद
   1/4. अनिता पुत्री कमलचंद
   1/5. किशन पुत्र कमलचंद
   जाति– कुमावत, निवासीगण– बेरा गौरवा निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)।

1. सुखाराम पुत्र भबूतराम जाति– कुमावत निवासी बेरा गौरवा निमाज तहसील जैतारण जिला– पाली0।
2. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 212/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री इमरान खान अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा साबित तस्दीक होनें से स्वीकार करते हुए ग्राम निमाज प्रथम, तहसील– जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 751 रकबा 20–07 बीघा, खसरा संख्या 269 रकबा 01–10 बीघा, खसरा संख्या 270 रकबा 0–14 बीघा, खसरा संख्या 271 रकबा 0–01 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 30 बीघा, खसरा संख्या 273 रकबा 30–04 बीघा, खसरा संख्या 1044 रकबा 09–07 बीघा, खसरा संख्या 1068 रकबा 06–09 बीघा, खसरा संख्या 1110 रकबा 02–15 बीघा, खसरा संख्या 1113 रकबा 01–17 बीघा में बतौर खातेदार एवं खसरा संख्या 1999 रकबा 04–12 बीघा में बतौर काश्तकार दर्ज वादीगण के पिता के नाम का अशुद्ध प्रविष्टि कुनाराम पि. भबूतराम को सही एवं वास्तविक नाम कमलचंद पि. भबूतराम से प्रतिस्थापित करते हुए मृतक कमलचंद पुत्र भबूतराम के स्थान पर इसके विधिक वारिसान वादीगण क्रमशः भूरीदेवी पत्नी कमलचंद, दिनेश कुमार पुत्र कमलचंद, सानिया कुमावत पुत्री कमलचंद, अनिता पुत्री कमलचंद, किशन पुत्र कमलचंद के नाम नामान्तरण स्वीकृत की जाने हेतू तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बशिख मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/12/2020 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06-00	स्टाम्प वकालतनामा	12-00
स्टाम्प वकालतनामा	20-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	28-00	मिजानः-	12-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested